

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारु बनाम प्यारी बाई

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 231/25

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|------------|--|
| 4.6.25 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नारु</u></p> <p>पिता श्री <u>भगवान मोई</u></p> <p>निवासी- <u>गिल्लूण्ड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिल्लूण्ड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2929 (खार) 290</u></p> <p><u>2925 2926 2926/3934 4025/2912 1.73</u></p> <p><u>0.40 0.44 0.54 1.15 (खार) 289</u></p> <p>कुल कीता <u>1+4=5</u> कुल रकबा <u>4.26</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिल्लूण्ड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2929 (खार) 290 2925 2926 2926/3934 4025/2912</u></p> <p><u>1.73 0.40 0.44 0.54 1.15</u></p> <p>कुल कीता <u>1+4=5</u> रकबा <u>4.26</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>51 हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीजू देवता) महाजब्त कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |